फारम--VIII--क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या – 8 (4)

श्री अनिल सिंह, प्रो०, वैभव बिल्डर्स एंड कंट्रक्शन, पिता–सरयु सिंह, महल्ला–360, ए.पी. कॉलोनी, थाना रामपुर, जिला गया को **आवेदन सं0 02/2021 दिनांक 23.03.2021** के संदर्भ में **आवासीय–सह–व्यवसायिक भवन निर्माण** के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित **गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार** के मौजा हरिओ, प्लॉट सं0 178, खाता सं0 54 में निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:–

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय–सह–व्यवसायिक** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1910 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके लिए किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **150 फीट चौड़ाई** के अनुमोदित पहूँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत् भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ गया नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/गया आयोजना क्षेत्र में **0 मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से **तीन वर्षों** की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) प्लान के अनुसार अनुमोदित नक्शा में दर्शायी गई निर्धारित उचाई 26.95 मीटर से अधिक उचाई में निर्माण नहीं किया जाएगा।

(ट) बिहार भवन उपविधि, 2014 के अंतर्गत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(ठ) कोई अन्य शर्त।

Vaibhav Builders & Construction
A Singh Propeitor

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार
–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर गया

ज्ञापांक सं० 70/आ०क्षे० प्रा० दिनांक 30/06/2021

प्रतिलिपिः अनुमोदित योजनाओं के नक्शा की 02 प्रतियों के साथ **श्री अनिल सिंह, पार्टनर, वैभव बिल्डर्स एंड कंट्रक्शन, पिता–सरयु सिंह, महल्ला–360, ए.पी. कॉलोनी, थाना रामपुर, जिला गया** को सूचनार्थ प्रेषित।

30.06.2021

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार
–सह–अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर गया